

राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा
निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर 17
पंचकुला

शुद्धिपत्र

दिनांक 27.04.2010

क्रमांक:- [रा०नि०आ०/१एम०ई०-२/२०१०/१२५७](#) राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या रा०नि०आ०/१एम०ई०-२/२०१०/१२५७, दिनांक 26.4.2010 के पैरा-1 के अन्तर्गत तालिका में क्रम संख्या 10 के कालम-3 में “(रविवार)” के स्थान पर “(वीरवार)” पढ़ा जाए।

दिनांक पंचकुला

आदेश द्वारा

27 अप्रैल, 2010

पूर्ण मल
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, हरियाणा

पृष्ठांकन क्रमांक:- एस०ई०सी०/१एम०ई०-२/२०१०/१२५८.१२९७ दिनांक:-27.04.2010

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाती है:-

1. मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चण्डीगढ़।
2. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, गृह विभाग, चण्डीगढ़।
3. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा।
4. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, हरियाणा।
5. वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, लेखन एवं मुद्रण विभाग, हरियाणा।
6. मण्डल आयुक्त, गुड़गांव, हिसार, अम्बाला, रोहतक।
7. निर्देशक, पुलिस विभाग, हरियाणा, पंचकुला।
8. निर्देशक, स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा।
9. निर्देशक, लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा।
10. हरियाणा के सभी पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस आयुक्त, गुड़गांव एवं फरीदाबाद।
11. सभी उपायुक्त, हरियाणा।
12. एक प्रति नियंत्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, हरियाणा को दिनांक 27.04.2010 के असाधारण अधिसूचना हेतु भेजते हुये अनुरोध किया जाता है कि इस अधिसूचना की 10 प्रतियां आयोग को सूचनार्थ एवं रिकार्ड हेतु भेजी जाये।

परमाल सिंह
सहायक राज्य निर्वाचन आयुक्त, हरियाणा